संख्या–2242 / 14–2–2018–800(72) / 2018

प्रेषक,

डा0 दीपक कोहली,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन, पंचम तल,
सेक्टर एच अलीगंज विस्तार,
उ0प्र0 लखनऊ।

वन एवं वन्यजीव अनुभाग–2 **लखनऊ, दिनांक 07 जून, 2018**

विषय :– सहारनपुर में नगरीय गैस वितरण परियोजनान्तर्गत बी0पी0सी0एल0 द्वारा 8"/2" व्यास की गैस पाइप लाईन डालने हेतु शिवालिक वन प्रभाग की बिना वृक्ष पातन के 0.136 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं सामाजिक वानिकी सहारनपुर में 6.207 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग व 109 वृक्षों व 116 पोल्स के पातन कुल 6.343 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 109 वृक्षों व 116 पोल्स के पातन की अनुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–8बी / यूपी / 09 / 47 / 2018 / एफसी / 94 दिनांक 09.05.2018 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में की गई कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गई है। तत्क्रम में मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0–5146 / सहारनपुर(समेकित) / 27358 / 2017 दिनांक 01.06.2018 द्वारा कमियों का निराकरण कर संशोधित सूचनाएं / अभिलेख 02 प्रतियों में शासन को उपलब्ध करायी गई है।

2– अतएव मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र दिनांक 24.05.2018 द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं / अभिलेख की एक प्रति संलग्नकर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विषयगत प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 दीपक कोहली)
अनु सचिव।

संख्या–2242(1) / 14–2–2018–तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डॉ0 दीपक कोहली)
अनुसचिव।

Data D. SO.Nodal.GOI Letter